FORM-D

In The Court of - प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश सरायपाली, जिला महासमुंद (छ०ग०) Presiding officer --------- श्रीमती शोभना कोष्टा
Date of the Judgment **29-07-2024** (Case No. **85/2022** (Details of FIR/Crime and Police Station थाना बसना के अ.क्र. 305/2022

Complainant	STATE OF– CG
REPRESENTED BY	GP MR. R.L. PATEL
ACCUSED	रामलाल निराला पिता सोनसाय उम्र 47 वर्ष निवासी जटाकन्हार थाना बसना, जिला महासमुंद (छ.ग.)
REPRESENTED BY	अधिवक्ता श्री आर.एन. आदित्य

FORM-E

Date of offence	29.06.2022
Date of FIR	30.06.2022
Date of Charge sheet	28.09.2022
Date of framing of Charges	21.02.2023
Date of commencement of Evidence	08.05.2023
Date on which judgement is reserved	25.07.2024
Date of the Judgment	29.07.2024
Date of the Sentencing Order, if any	Not applicable

Accused Details :

Rank of the Accused	Name of the Accused	Date of arrest	Date of release on bail	Offence charged	Whether accquitted or convicted	Sentence imposed	Period of detention undergone during trial for purpose of section 428 Cr.P.C.
01.	रामलाल निराला	30.06.2022	निरंक	धारा 302 भा.द.वि.	दोषमुक्त	....	02 वर्ष माह 29 दिन

FORM-F

S.N.	Description	Page No.
1	Heading of Judgment	03
2	Appearance of Adovats	03
3	Charge	04
4	Admitted Facts	04
5	Prosecution Story	04 to 05
6	No. of witness (prosecution and defence)	05
7	Questions to be determination	06
8	Reasons and findings	06 to 25
9	Sentence	Not applicable
10	Period of Detention & Set- Off	25
11	Disposal of Property	25
12	Order of Compensation	Not applicable
13	Certificate under section 428 CrPC	26
14	Warrant of Commitment on a sentence (Imprisonment or Fine)	Not applicable
15	Copy of Judgment	26

न्यायालय –प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश सरायपाली, जिला महासमुंद (छ०ग०)
(पीठासीन– श्रीमती शोभना कोष्टा)

सत्र प्रकरण क्रमांक 85/2022
संस्थित तिथि –21/10/2022
आरक्षी केन्द्र –बसना
अपराध क्रमांक– 305/2022
सी.आर.एन.क्र. सी.जी.एम.ए.0040002892023

छत्तीसगढ़ राज्य द्वारा

आरक्षी केन्द्र बसना

जिला महासमुन्द (छ0ग0) .... अभियोजन

–: विरूद्ध :–

रामलाल निराला पिता सोनसाय उम्र 47 वर्ष

निवासी जटाकन्हार थाना बसना, जिला महासमुंद (छ.ग.) .... अभियुक्त

–: पैरवीकर्त्ता :–

अभियोजन द्वारा श्री आर0 एल0 पटेल अतिरिक्त लोक अभियोजक।

अभियुक्त न्यायिक अभिरक्षा से पेश, प्रतिरक्षा में श्री आर.एन. आदित्य अधिवक्ता।

–: निर्णय :–

(आज दिनांक 29/07/2024 को घोषित)

01– अभियुक्त के विरूद्ध धारा 302 भा0द0सं0 के तहत यह आरोप है कि दिनांक 29/06/2022 को लगभग 16:00 बजे थाना बसना क्षेत्रांतर्गत ग्राम जटाकन्हार मृतका के मकान में मृतका कुमारी निराला को मारपीट कर गला दबाकर उसकी हत्या कारित किया।

02– प्रकरण में स्वीकृत तथ्य कुछ नहीं है।

03– अभियोजन का मामला संक्षेप में इस प्रकार है कि दिनांक 29.06.2022 को सूचनाकर्ता सोनसाय निराला के द्वारा मृतिका कुमारी निराला की मृत्यु सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र बसना में हो जाने की सूचना पर अकाल एवं आकस्मिक सूचना पंजी प्रपी 15 दर्ज किया जाना बताया है तब शव पंचनामा की कार्यवाही हेतु आवेदन प्रपी 16 दिया जाना और मर्ग क्रमांक 85/2022 में शव का पोस्टमार्टम कराने हेतु ज्ञापन प्रपी 14 भेजा गया, शव का निरीक्षण कर करने हेतु जारी नोटिस प्रपी 04 एवं शव निरीक्षण प्रतिवेदन प्रपी 05 तैयार किया गया । तब अभियुक्त के खिलाफ प्रथम सूचना रिपोर्ट प्रपी 17 दर्ज किया गया, तब घटनास्थल जाकर गवाही के उपस्थिति में घटनास्थल का मौका नक्शा प्रपी 18 तैयार किया गया । तब पी एम में जप्त किया गया बिसरा को पुलिस अधीक्षक महासमुंद के प्रपी 08 के अनुसार एफ एस एल हेतु राज्य न्यायिक विज्ञान प्रयोगशाला रायपुर जमा किया गया, जिसकी पावती प्रपी 09 है। तब अभियुक्त को गवाहों की उपस्थिति में गिरफ्तारी पत्रक प्रपी 21 के अनुसार गिरफ्तार कर अभियुक्त का मेमोरेण्डम कथन प्रपी 02 लिया गया तब गवाहों के कथन उनके बताये अनुसार लेखबद्ध किये गये, तब घटनास्थल का नजरी नक्शा तैयार करने हेतु ज्ञापन प्रपी 23 भेजा गया। घटनास्थल का नजरी नक्शा प्रपी 10 एवं पंचनामा प्रपी 11 तैयार किया गया । तब विवेचना के दौरान मृतिका का फोटो आर्टिकल ए–1 दिया गया संपूर्ण विवेचना उपरांत अभियोग पत्र प्रपी 24 तैयार कर प्रस्तुत किया गया। जहां से प्रकरण धारा–209 द0प्र0सं0 के तहत माननीय सत्र न्यायाधीश महासमुंद को उपार्पित किया गया, तदुपरान्त माननीय सत्र

न्यायाधीश महासमुंद द्वारा प्रकरण विधिवत विचारण हेतु इस न्यायालय को अंतरित किया गया।

04– अभियुक्त के विरूद्ध धारा– 302, भा0द0सं0 के तहत आरोप विरचित कर पढ़कर सुनाए एवं समझाए जाने पर उसने आरोप अस्वीकार कर विचारण किये जाने का दावा किया। धारा 313 दण्ड प्रक्रिया संहिता के तहत अभियुक्त कथन लिए जाने पर उसने स्वयं को निर्दोष होना तथा झूठा फंसाए जाने का कथन करते हुये अपने बचाव में साक्ष्य नहीं देना व्यक्त किया।

05– अभियोजन की ओर से अपने पक्ष समर्थन में सोनसाय निराला (अ0सा01), तुलाराम ओगरे (अ0सा02), हरिराम सतनामी (अ0सा03), देवलाल सतनामी (अ0सा04), अवन कुमार (अ0सा05), आरक्षक सूरज कुमार निराला (अ0सा06), आरक्षक लक्ष्मीचंद कुमार (अ0सा07), आरक्षक तोष कुमार दीवान (अ0सा08), फुलबासन (अ0सा09), नंदकुमार (अ0सा010), पटवारी विजय कुमार साव (अ0सा011), डॉ. नारायण साहू (अ0सा012), उप निरीक्षक जितेन्द्र कुमार विजयवार (अ0सा013) एवं नायब तहसीदार श्रीमती श्रद्धा सिंह (अ0सा014) का साक्ष्य कराया है। इसके विपरीत बचाव पक्ष ने अपने समर्थन में कोई साक्ष्य नहीं कराया है।

06– अभियोजन ने तर्क के दौरान यह आधार लिया है कि उनके द्वारा अभियुक्त के विरूद्ध अपना प्रकरण प्रमाणित किया है। अतः अभियुक्त को आरोपित अपराध के अनुसार दंडित किया जाये। इसके विपरीत बचाव पक्ष द्वारा यह आधार लिया गया है कि अभियोजन साक्षियों ने अपने प्रकरण को शंका से परे जाकर प्रमाणित नहीं किया है एवं अभियोजन साक्षी

पक्षद्रोही भी हो गये है और उन्होंने अभियोजन का साथ नहीं दिया है। उक्त आधार पर उनके द्वारा आरोपीगण को दोषमुक्त किये जाने का निवेदन किया गया है।

07– प्रकरण में निम्न विचारणीय प्रश्न उत्पन्न होते है कि : –

1– क्या आरोपी ने दिनांक 29/06/2022 को लगभग 16:00 बजे थाना बसना क्षेत्रांतर्गत ग्राम जटाकन्हार मृतका के मकान में कुमारी निराला को मारपीट कर गला दबाकर उसकी हत्या कारित किया।

2– दोषसिद्धि/दोषमुक्ति ?

<u>विचारणीय प्रश्न क्र 01 से 02 पर सकारण निष्कर्ष :–</u>

साक्ष्य की पुनरावृत्ति एवं साक्ष्य विश्लेषण के क्रम को बनाये रखने के लिए दोनों विचारणीय प्रश्नों का निराकरण एक साथ किया जा रहा है ।

08– सर्वप्रथम मृतिका के मृत्यु की प्रकृति पर विचार करें तो इस संबंध में चिकित्सीय साक्ष्य महत्वपूर्ण होता है । इस प्रकरण में अभियोजन ने **असा 12 डॉ. नारायण साहू** को साक्ष्य में प्रस्तुत किया है जिसका कथन है कि मैं वर्ष 2022 को सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र बसना में चिकित्सा अधिकारी के पद पर पदस्थ था। दिनांक 30–06–2022 को थाना के सैनिक संजय मिश्रा ने मृतिका कुमारी निराला के शव को शव परीक्षण हेतु मेरे समक्ष पेश किया था, थाना से लाये गये शव परीक्षण के आवेदन जो प्रपी 12 है जिसके अ से अ भाग पर मेरे हस्ताक्षर एवं ब से ब भाग पर मेरे पदमुद्रा की सील लगी हुई है। पेश करने पर मैंने उसकी पहचान पवन कुमार, नंदकुमार से कराया था । मैंने परीक्षण में पाया कि एक सामान्य कद काठी

की महिला थी जो कि काला और लाल प्रिंटेड मैक्सी पहनी हुई थी। काला पेटीकोट, लाल एवं काला प्रिंटेड ब्रा, मेहरून कलर का पेण्टी पहनी हुई थी।

09– आगे कहा है कि बांये कलाई में पांच नग पीले कलर की कांच की चूड़ी, दांये कलाई में 7 नग पीले कलर की, 2 नग संतरे कलर की व 1 लाल रंग की चूडी पहनी थी। दोनों कान में ईयर रिग थी । नाक में सोने रंग का नोज पिन था । टैटू मार्क दोनों अग्र भूजा और दोनों पैरों में थी। काले रंग का धागा दोनों पैर में पहनी थी। दाहिने हाथ में सोने रंग की अंगूठी की रिंग फिंगर में पहनी थी और बांये हाथ में मध्य अंगुली में सोने कलर का रिंग था, माथे में लाल रंग की बिंदी थी। रेत के कण शरीर के पिछले भाग में चिपकी हुई थी। नाखून हल्के नीले रंग के थे । दोनों आंखे खुली हुई थी, दोनों होंठ खुले हुए थे। शरीर में बांये हाथ के ऊपरी भाग में खरोच के निशान थे जिसका आकार 0.3X0.2 cm थी । नाक के बांयी ओर से खून निकल रहा था । आंख में भी खून का धब्बा था । गले में कन्टयूजन था जो कि सामने के भाग में था जो कि 7 सेमी लंबा एवं 1.5 सेमी चौडा था। गले को ओपन करने पर स्टेरनो प्लाईजो मसल का नीचले का एक तिहाई भाग में लालिमा था और लेरेंगियर भाग में कन्टयूजन था जो कि हाईड बोन (गले की मुख्य हड्डी) टूटी हुई था और उसके आस–पास रक्त जमा हुआ था । ट्रेखियल रिंग के ऊपरी भाग अंदर की ओर दबा हुआ था । खोपडी सामान्य थी । झिल्ली और मस्तिष्क मेरूरज्जू कंजेस्टेड थी ।

10– आगे कहा है कि दाहिना एवं बाया फेफडे को काटने पर उसमें चेरी रेड कलर का खून भरा हुआ था । हृदय में दायां चेम्बर खून से भरा हुआ था एवं बायां चेम्बर खाली था । वृहद वाहिका खून से भरा हुआ था। परदा, आंतों की झिल्ली, मुंह तथा ग्रासनली, ग्रसनी

कंजेस्टेड था । पेट एवं उसके भीतर की वस्तुए अधपचे हुए थे। छोटी एवं बडी आंत में मल एवं गैस भरा हुआ था । यकृत, प्लीहा और गुर्दा को काटने पर कंजेस्टेड था। मुत्राश खाली था। भीतर एवं बाहर जननेन्द्रीया सामान्य थी कोई बाहरी चोट नहीं था। बच्चादानी खाली था उपरोक्त जो चोट है वह कठोर और भोथरे वस्तु से आ सकती है और एण्टी मार्टमप्रकृति की है। चोट की अवधि मृत्यु की 12 घण्टे के भीतर की थी । मेरे द्वारा रासायनिक परीक्षण हेतु एफ एस एल रायपुर के लिए लीवर, किडनी, स्प्लिंना, हृदय एवं फेफडा के टुकडे को सामान्य नमक घोल में भरकर, सीलबंद कर उसी आरक्षक को दिया था। आमाशय एवं उसके भीतर की वस्तुएं एवं छोटी आंत के टुकडे को सामान्य नमक घोल में भरकर, सीलबंद कर उसी आरक्षक को दिया था । सामान्य नमक घोल को सीलबंद कर आरक्षक को सौंपा था । मेरे मतानुसार मृतक की मौत सांस अवरूद्ध होने के कारण हुई है जो कि गला दबने से सांस गति रूक जाने से हुई है ।

11– इस साक्षी ने कहा है कि मृत्यु की प्रकृति हत्यात्मक है । मृत्यु की अवधि शव परीक्षण के 24 घंटे के भीतर की है । मेरे द्वारा दी गई शव परीक्षण रिपोर्ट प्रपी 13 है जिसके अ से अ भाग एवं स से स भाग पर मेरे हस्ताक्षर है तथा ब से ब एवं द से द भाग पर मेरे पदमुद्रा की सील लगी हुई है । मैंने दिनांक 30–06–2022 को मृतिका कुमारी निराला के सार्ट रिपोर्ट दिया था जो प्रपी 14 है जिसके अ से अ भाग पर मेरे हस्ताक्षर है एवं ब से ब भाग में मेरे पदमुद्रा की सील लगी हुई है ।

12– इस तरह चिकित्सीय साक्ष्य का विश्लेषण करें तो इस प्रकरण में चिकित्सीय साक्ष्य ने मृतिका की मृत्यु गला दबने से सांस गति रूक जाने से होना बताते हुए मृत्यु की

प्रकृति हत्यात्मक होने का कथन किया है और अपने द्वारा दी गयी शव परीक्षण रिपोर्ट प्रपी 13 को अपने हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा से प्रमाणित किया जाना बताया है जिसका बचाव पक्ष द्वारा खण्डन नहीं किया जा सका है । उक्त आधार पर इस प्रकरण में मृतिका की मृत्यु हत्यात्मक प्रकृति की होना प्रमाणित पायी जाती है । आगे यह देखा जाना है कि क्या मृतिका की हत्या आरोपी द्वारा ही कारित की गयी थी ?

शेष अभियोजन साक्ष्य :–

13– **असा 01 सोनसाय निराला** का कथन है कि मैं न्यायालय में स्थित व्ही.सी सिस्टम के माध्यम से उपस्थित अभियुक्त को जानता हूं, वह मेरा पुत्र है एवं मृतक कुमारी निराला को भी मैं जानता हूं वह मेरी बहू है। घटना लगभग 11 माह पूर्व की है, मैं खेत में धान बोया था। मैं उक्त खेत को जोगने एवं देखने गया था। उसी दिन मैं एक बधना किया था कि मेरे बहू का एक लड़का हो जाये, मै उस दिन बकरा काटा था और मेरे रिश्तेदारों को बुलाया था। मेरा पुराने घर में पूजा पाठ हुई थी वहां पर खाना खा लिये थे। उसके बाद मेरे नये घर खेत के पास में है मैं वहां पर मेरे संमधी, उसका लड़का एवं बहू कुमारी निराला आराम करने गये थे। मेरे खेत के पास में नया घर है वहां पर मैं गया था मेरे संमधी एवं उसका लड़का उस घर में नही थे। वहां पर मेरे बहू कुमारी निराला बेहोश पड़ी हुई थी। मैं देखकर दरवाजा को बाहर से बंद कर दिया और मेरे पुराने घर दौड़ते हुए गया। मेरे सांस भर गया था मैं बात नही कर पा रहा था। कुछ देर बाद मैं अपने बेटे अभियुक्त को बोला कि अभी तो मेरी बहू खाना बनाकर, खाकर नये घर गयी थी और उसे मैं हिला डुला कर देखा तो नही सुन रही है, चलो क्या हो गया तब रामलाल, हरिभूषण, बेटियां और तुलाराम, तुलाराम की पत्नी भी गये थे। नये घर पहुंचने पर

कुमारी निराला को हिला डुला कर मेरे पुत्र रामलाल निराला ने देखा तो कुमारी निराला नही सुनी, तब मेरा लड़का रामलाल निराला बेहोश हो गया।

14– आगे कहा है कि मैं नये घर से दौड़ते हुए गांव के कोटवार, गौटिया, सरपंच तथा अन्य प्रमुख लोगों को बुलाकर ले गया था। वहां पर उपस्थित गांव वाले बोले कि 112 गाड़ी को बुलाओ और थाना में रिपोर्ट करो। गाड़ी आया फिर उसमें कुमारी निराला को लेकर थाना बसना में रिपोर्ट किये उसके पश्चात् सरकारी अस्पताल ले गये थे। डॉक्टर के द्वारा कुमारी निराला को मृत घोषित किये थे तथा रामलाल निराला को होश आ रहा है कहते हुए बाटल चढ़ाये थे। पुलिस वाले ने मेरा 2 जगह कोरा कागज में हस्ताक्षर लिये थे। पुलिस वाले क्या–क्या किये मुझे जानकारी नही है। पुलिस वाले ने हमारे गांव जांच करने आये थे और पुलिस वालो ने मेरा कोई हस्ताक्षर नही लिये थे। गांव के लोग थाना में रिपोर्ट किये थे। पुलिस वालों ने मेरे सामने रामलाल को पूछताछ नही किये थे। पुलिस वालो ने मेरा कोई बयान नही लिये थे। पुलिस वालों ने मेरे पुत्र रामलाल निराला को गिरफ्तार नही किये थे।

15– **असा 02 तुलाराम ओगरे** का कथन है कि मैं न्यायालय में स्थित व्ही.सी सिस्टम के माध्यम से उपस्थित अभियुक्त को जानता हूं, अभियुक्त मेरा कका–बड़ा का जीजा है एवं मृतक कुमारी निराला को भी जानता हूं वह मेरी दीदी है। दिनांक 29.06.2022 को सोनसाय ने पुजाई कार्यक्रम का निमंत्रण दिया था उसमें मैं गया था। वहां पर सोनसाय की बेटी–बहन लोग आये हुए थे और रामलाल के बेटी, उसके ससुर, साला तथा दामाद लोग भी आये हुए थे। हम लोग खाना खाकर आराम कर रहे थे और कुछ लोग खाना नही खाये हुए थे। रामलाल के नया ससुर एवं साला ने कहा कि यहां पर खाना खा रहे है। हम लोग नया घर में जाकर आराम

करेंगे और कुमारी को भी साथ लेकर चले गये थे। हम लोग खाना खाकर घर में आराम कर रहे थे। सोनसाय के द्वारा अपने खेत को देखने गया था और उसी तरफ उसका नया घर था तो नया घर गया, तब वहां देखा कि कुमारी तखत पर सोयी हुई थी। सोनसाय ने कुमारी को आवाज दी आवाज देने पर नही सुनी तब सोनसाय ने हमारे पास आये और उक्त बात को बताया। उक्त बात को सुनकर हम पूरे परिवार तथा रिश्तेदारों रामलाल, उसकी पत्नी वहां पर गये थे। वहां पर जाकर हम लोग तथा रामलाल ने भी आवाज देकर चिल्लाया नही सुनी जिस पर रामलाल भी वहां पर बेहोश हो गया था। कुमारी को तखत में जब आवाज नही सुनी तब हम लोग उसे हिला डुला कर देखे तो वैसी ही पड़ी थी। जिस प्रकार मेरे हुए व्यक्ति रहते है। फिर गांव के कोटवार, गांव के सरपंच एवं गौटिंया लोगों को सोनसाय के द्वारा बुलाया गया था। उन लोग 112 गाड़ी को बुलाये थे और उस गाड़ी में कुमारी तथा रामलाल को लेकर सीधा अस्पताल चले गये।

16– आगे कहा है कि वहां पर आस–पास में कुमारी के पिता एवं भाई के संबंध में पूछताछ करने पर कोई व्यक्ति उसके संबंध में नही बताये थे। जब हम लोग अस्पताल पहुंचे तब डॉक्टर लोग देखे तब तक कुमारी की मृत्यु हो चुकी थी। रामलाल पुट–पुट कर रहा था जिसे बाटल चढ़ाया गया था। पुलिस वाले बोले कि कुमारी के पिता एवं भाई को सूचना दे दो। तब फोन कर सूचना दिये थे सूचना पर अस्पताल लगभग 8 बजे आये थे। उनके आने पर सोनसाय ने बोला कि आप लोग आराम करने के लिये कुमारी को साथ लेकर आये थे। आप लोग बिना बताये कहां भाग गये थे और वहां पर आपसी झगड़ा हो गये थे जिस पर पुलिस वालों ने झगड़ा को शांत कराये उसके बाद मै घर चला गया। पुलिस वालो ने पीएम के दूसरे दिन मुझे थाना

बुलाये थे और मुझे कागज पर हस्ताक्षर करवाये थे। साक्षी को प्रदर्श पी 02 मेमोरेंडम कथन दिखाये जाने पर उसके अ से अ भाग के हस्ताक्षर को अपना होना स्वीकार किया। पुलिस वालों ने मेरा कोई बयान नही लिये थे। पुलिस वाले मेरा एक फोटो मोबाइल में खींचे थे।

17– **असा 03 हरिराम सतनामी** का कथन है कि मैं न्यायालय में स्थित व्ही.सी सिस्टम के माध्यम से उपस्थित अभियुक्त रामलाल निराला को जानता हूं, एवं मै सोनसाय को भी जानता एवं पहचानता हूं, मृतिका कुमारी निराला मेरी पुत्री है। अभियुक्त रामलाल निराला हमारे घर आता और 1–2 दिन रूककर खा–पीकर अपने घर चला जाता था वैसे 4–5 बार हुआ था। मेरी पुत्री को पटा लिया और भगाकर ले आया था और लगभग 10 माह अपने पास रखा था। हम लोग उस 10 माह के भीतर एक दिन फोन किये थे जिसमें अभियुक्त बोला था कि मैं गाड़ी में हूं, बैंक जा रहा हूं, बाद में बात करूंगा और वह बात नही किया। उसी दिन रामलाल के पिता ने लगभग 03.00 बजे फोन किया कि कुमारी निराला एवं रामलाल निराला दोनो बेहोश है। मैं उस पर बोला कि डॉक्टर कर लो कैसे हो रहा है, तब जांच करने पश्चात रामलाल निराला के पिता ने हमे बताया कि नाड़ी नही चल रहा है। जिस पर अभियुक्त के पिता ने कहा कि तुम लोग यहां आओ, हम लोग उसी दिन 4 बजे निकले और 6–7 बजे बसना पहुंचे। हम लोग खोजबीन कर रहे थे तब पता चला कि सरकारी अस्पताल में है। मृतिका खत्म हो गयी थी। हम लोग रात भर अस्पताल में थे दूसरे दिन पुलिस वाले आये और नक्शा पंचायतनामा हेतु नोटिस दी गयी थी नोटिस प्रदर्श पी 04 दिखाये जाने पर उसके अ से अ भाग के हस्ताक्षर को अपना हस्ताक्षर होना स्वीकार किया। पुलिस वाले मेरे सामने नक्शा पंचायतनामा तैयार किये थे जो प्रदर्श पी 05 है जिसके अ से अ भाग पर मेरे हस्ताक्षर है।

पंचनामा पश्चात शव का पी.एम. हुआ था उसके बाद शव को पुलिस वालो ने मुझे सौंपा था जिसके संबंध में शव पंचनामा तैयार हुई थी शव पंचनामा प्रदर्श पी 06 है जिसके अ से अ भाग पर मेरे हस्ताक्षर है। उसके बाद मृतिका कुमारी निराला के शव को अपने घर ले गया और शव का दाह–संस्कार किया था और मैं घटना के बारे में कुछ नही जानता।

18– **असा 04 देवलाल सतनामी** का कथन है कि मैं न्यायालय में स्थित व्ही.सी सिस्टम के माध्यम से उपस्थित अभियुक्त रामलाल निराला को जानता हूं, एवं मैं सोनसाय को भी जानता एवं पहचानता हूं, मृतिका कुमारी निराला मेरी बहन है। मेरी बहन बुड़ेन शादी होकर गयी थी उसके दो बच्चे थे। मेरी बहन हमारे घर आयी थी और 8–10 दिन रही। अभियुक्त रामलाल हमारे घर आना–जाना करता एवं रूकता था। रामलाल मेरी बहन को भगाकर ले आया। मेरी बहन को अभियुक्त ने 10 माह तक रखा था उसके बाद रामलाल के पिता ने हमारे घर फोन कर बताया कि रामलाल एवं कुमारी निराला दोनो बेहोश हो गये है और आप लोग आओ बोले थे। जब रामलाल के पिता ने हमे फोन के माध्यम से बुलाया तब हम लोग सीधा थाना आ गये रामलाल के घर नही गये। थाने वाले ने हमे बताया कि रामलाल एवं कुमारी निराला सरकारी अस्पताल बसना में है तब हम लोग सरकारी अस्पताल बसना गये। वहां पर पुलिस वालो ने पंचनामा तैयार किया था पंचनामा हेतु नोटिस दी गयी थी नोटिस प्रदर्श पी 04 है जिसके स से स भाग पर मेरे हस्ताक्षर है नोटिस पश्चात नक्शा पंचायतनामा तैयार किये थे नक्शा पंचायतनामा प्रदर्श पी 05 है जिसके स से स भाग पर मेरे हस्ताक्षर है। पुलिस वालो ने उसके बाद शव को पी.एम. के लिये भेज दिये थे पी.एम. होने के पश्चात हम लोगो को पुलिस

वालो ने शव को सुपुर्दनामा में दिये थे। शव को लेकर हम लोग हमारे गांव चले गये और शव को दाह–संस्कार किये थे पुलिस वाले मुझसे पूछताछ कर मेरा बयान लिये थे।

19– **असा 05 अवन कुमार** का कथन है कि मैं न्यायालय में स्थित व्ही.सी सिस्टम के माध्यम से उपस्थित अभियुक्त रामलाल निराला को जानता हूं, एवं मैं सोनसाय को भी जानता एवं पहचानता हूं, मृतिका कुमारी निराला मेरी बहन है। दिनांक 29.06.2022 की घटना है मैं उस दिनांक को फोन से कुमारी निराला से बात किया था तब कुमारी निराला बोली कि हम लोग बैंक जा रहे है, बाद में बात करूंगी अभी गाड़ी में हूं ऐसा मेरी दीदी बोली थी। बाद में फोन नही लगायी। उसी दिनांक को 04.00 बजे उनके घर से रामलाल निराला की पहली पत्नी फोन की और बोली कि आपकी बहन बेहोश हो गयी है जल्दी आप लोग आओ। हम लोग सरकारी अस्पताल बसना पहुंचे थे वहां पर कुमारी निराला को ले आये थे। कुमारी निराला खत्म हो गयी है की जानकारी हुई। उसके बाद पोस्टमार्टम हुई थी पी.एम. के पूर्व नक्शा पंचायतनामा हुई थी जिसके संबंध में पुलिस वालो ने नोटिस प्रदर्श पी 04 दिये थे जिसके ब से ब भाग पर मेरे हस्ताक्षर है। उसके पश्चात नक्शा पंचायतनामा की कार्यवाही हुई थी जो प्रदर्श पी 05 है जिसके ब से ब भाग पर मेरे हस्ताक्षर है। पी.एम. पश्चात हम लोग शव को हमारे गांव ले गये और शव का अंतिम दाह–संस्कार किये थे, पुलिस वाले मुझसे पूछताछ कर मेरा कथन दर्ज किये थे।

20– **असा 06 आरक्षक सूरज कुमार निराला** का कथन है कि मैं न्यायालय में व्ही०सी० के माध्यम से दर्शित अभियुक्त को जानता हूं क्योंकि उसे गिरफ्तार करके लाया था। मैं 30–06–2022 को थाना बसना में पदस्थ था । थाना में पदस्थ संजय मिश्रा के द्वारा तीन

बंद डिब्बा में संपत्ति डॉक्टर से लाकर जो थाना में पदस्थ उपनिरीक्षक जितेन्द्र कुमार विजयवार के समक्ष पेश करने पर उनके द्वारा जप्ती पत्रक की कार्यवाही की गई थी जप्ती पत्रक प्रपी 07 है जिसके अ से अ भाग पर मेरे हस्ताक्षर है ।

21– **असा 07 आरक्षक लक्ष्मीचंद कुमार** का कथन है कि मैं वर्ष 2022 में थाना बसना में सैनिक के पद पर पदस्थ था । मैं सैनिक क्रमांक 166 संजय मिश्रा को जानता हूं । दिनांक 30–06–2022 को सैनिक संजय मिश्रा के द्वारा पी०एम० के पश्चात मृतिका कुमारी निराला का बिसरा जो डॉक्टर द्वारा पी एम करने के बाद सीलबंद कर दिया गया था उसे लाकर थाना बसना में प्रस्तुत किया था जिसे मेरे समक्ष उपनिरीक्षक जितेन्द्र कुमार विजयवार ने संजय मिश्रा से जप्त किया था एवं जप्ती पत्र तैयार किया था। जप्ती पत्रक प्रपी 07 है जिसके ब से ब भाग पर मेरे हस्ताक्षर है ।

22– **असा 08 आरक्षक तोष कुमार दीवान** का कथन है कि मैं वर्ष 2021 से थाना बसना में आरक्षक के पद पर पदस्थ हूं । मैं दिनांक 20–07–2022 को थाना प्रभारी बसना के आदेशानुसार थाना बसना के अपराध क्रमांक 305/2022 धारा 302 भा०द०वि में जप्त बिसरा का रासायनिक परीक्षण हेतु पुलिस अधीक्षक महासमुंद के पत्र सहित एवं जप्त बिसरा सहित राज्य न्यायिक विज्ञान प्रयोगशाला रायपुर गया था । पुलिस अधीक्षक महासमुंद का पत्र प्रपी 08 है । जप्तशुदा सामग्री को राज्य न्यायिक विज्ञान प्रयोगशाला रायपुर में जमा करने पश्चात मुझे उसकी पावती दी गई थी जिसे मैं थाना बसना में लाकर जमा किया था । उक्त पावती प्रपी 09 है । उक्त कार्य हेतु मुझे कर्तव्य प्रमाण पत्र दिया गया था जिसके पृष्ठ भाग में मैंने अपना वापसी दर्ज किया था जिसके अ से अ भाग पर मेरे हस्ताक्षर है ।

23– **असा 09 फुलबासन** का कथन है कि मैं न्यायालय में व्ही.सी. के माध्यम से दर्शित अभियुक्त को जानती एवं पहचानती हूं । उसका नाम रामलाल है । वह ग्राम जटाकन्हार का है । मृतिका कुमारी मेरी पुत्री है । वह मेरे घर में थी तब अभियुक्त हमारे घर आया और उसे ठग भुलवारकर ले गया और 10 माह तक रखा और उसे मार दिया । मेरी पुत्री के दो लडके हैं और मैं कुछ नहीं जानती ।

24– **असा 10 नंदकुमार** का कथन है कि मैं न्यायालय में व्ही.सी के माध्यम से दर्शित अभियुक्त को जानता एवं पहचानता हूं । मैं मृतिका कुमारी को जानता हूं वह ग्राम बिसोरा का है। मेरे बडसाला ने मुझे बताया कि कुमारी की मृत्यु हो गई है । तब हमको जानकारी होने पर बसना अस्पताल आये थे, मैं जब अस्पताल पहुंचा तब कुमारी की मृत्यु हो चुकी थी । उसके बाद डॉक्टरी मुलाहिजा हुआ, वहां पर पोस्टमार्टम हुआ फिर हमलोग लाश को बिसोरा ले गये । साक्षी को प्रपी 04 नोटिस दिखाये जाने पर द से द भाग के हस्ताक्षर को अपना होना व्यक्त किया। साक्षी को नक्शा पंचायतनामा प्रपी 05 दिखाये जाने पर द से द भाग के हस्ताक्षर को अपना होना व्यक्त किया । साक्षी को शव सुपुर्दनामा प्रपी 06 दिखाये जाने पर ब से ब भाग के हस्ताक्षर को अपना होना व्यक्त किया । पुलिसवाले मेरा पुछताछ कर मेरा बयान लिये थे और मैं घटना के बारे में कुछ नहीं जानता ।

25– **असा 11 पटवारी विजय कुमार साव** का कथन है कि मैं वर्ष 2022 को पटवारी हल्का नंबर 55 ग्राम जटाकन्हार में पटवारी के पद पर पदस्थ था । तहसीलदार सरायपाली के द्वारा थाना बसना में दर्ज अपराध क्रमांक 305/2022 धारा 302 भा०द०वि के अपराध में घटनास्थल का नजरी नक्शा बनाने हेतु मुझे थाना बसना द्वारा दी गई मेमो को मूलतः भेजा

गया था जिसके आधार पर मैंने ग्राम जटाकन्हार जाकर गवाहों की उपस्थित में घटनास्थल का नजरी नक्शा एवं पंचनामा तैयार किया था जो नजरी नक्शा प्रपी 10 एवं पंचनामा प्रपी 11 है जिसके अ से अ भागों पर मेरे हस्ताक्षर हैं।

26– **असा 13 उप निरीक्षक जितेन्द्र विजयवार** का कथन है कि वह वर्ष 2020 से वर्ष 2023 तक थाना बसना में उप निरीक्षक के पद पर पदस्थ होना बताते हुए दिनांक 29.06.2022 को सूचनाकर्ता सोनसाय निराला के द्वारा थाना में उपस्थित होकर श्रीमती कुमारी निराला के मृत्यु सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र बसना में हो गई है कि सूचना पर मैंने अकाल एवं आकस्मिक मृत्यु की सूचना पंजी दर्ज किया था जो प्रपी 15 है जिसके अ से अ भाग पर मेरे हस्ताक्षर है। मैंने दिनांक 30–06–2022 को मृतिका नवविवाहिता होने के कारण तहसीलदार बसना को शव पंचनामा की कार्यवाही करने हेतु आवेदन दिया था जो प्रपी 16 है जिसके अ से अ भाग पर मेरे हस्ताक्षर है। मैंने दिनांक 30–06–2022 को खण्ड चिकित्सा अधिकारी बसना को मर्ग क्रमांक 85/2022 में शव का पोस्टमार्टम करने पश्चात शार्ट पीएम रिपोर्ट प्राप्त करने हेतु ज्ञापन भेजा था जो प्रपी 14 है जिसके स से स भाग पर मेरे हस्ताक्षर है। मैंने शार्ट पीएम रिपोर्ट के आधार पर अभियुक्त रामलाल निराला के खिलाफ धाराा 302 भादवि के अपराध में प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज किया था जो प्रपी 17 है जिसके अ से अ एवं ब से ब भाग पर मेरे हस्ताक्षर है। मैंने दिनांक 30–06–2022 को घटनास्थल जाकर गवाहों की उपस्थिति मे घटनास्थल का मौका नक्शा तैयार किया था जो प्रपी 18 है जिसके अ से अ भाग पर मेरे हस्ताक्षर एवं ब से ब भाग पर गवाह का अंगुठा निशानी है। मैंने दिनांक 30–06–2022 को मृतिका नवविवाहिता होने के कारण अनुविभागीय अधिकारी

राजस्व सरायपाली को कार्यपालन दण्डाधिकारी नियुक्त करने हेतु आवेदन पेश किया था जो प्रपी 19 है जिसके अ से अ भाग पर मेरे हस्ताक्षर है ।

27– आगे कहा है कि मैंने दिनांक 16–07–2022 को खण्ड चिकित्सा अधिकारी बसना को पीएम कर डॉक्टर द्वारा पीएम रिपोर्ट के साथ बिसरा जप्त किया गया था जिसे एफ एस एल रायपुर परीक्षण हेतु भेजा गया था जिसमें स्कूटनी आने पर मैंने डॉक्टर साहब को बिसरा में क्या परीक्षण करना है स्पष्ट करने हेतु आवेदन दिया था जो प्रपी 20 है जिसके अ से अ भाग पर मेरे हस्ताक्षर है । मैंने दिनांक 29–06–2022 को थाना में पदस्थ सैनिक क्र 166 संजय मिश्रा के द्वारा डॉक्टर से लाई हुई संपत्ति को जप्त किया था जो प्रपी 07 है जिसके स से स भाग पर मेरे हस्ताक्षर है। मैंने अभियुक्त रामलाल निराला को गवाहों की उपस्थिति मे गिरफ्तार किया था जो प्रपी 21 है जिसके अ से अ भाग पर मेरे हस्ताक्षर है । मैंनें गवाहों की उपस्थित में अभियुक्त रामलाल निराला का मेमोरेण्डम कथन लिया गया था, मेरे द्वारा तैयार की गई मेमोरण्डम कथन प्रपी 2 है जिसके ब से ब भाग पर मेरे एवं स से स भाग पर अभियुक्त का हस्ताक्षर है । मैंने विवेचना के दौरान सोनसाय निराला, तुलाराम ओगरे, हरिराम सतनामी, अमन कुमार, नंदकुमार रात्रे, श्रीमती फुलबासन, देवलाल सतनामी का कथन उनके बताये अनुसार लेखबद्ध किया था । मैंने दिनांक 15–08–2022 को थाना में दर्ज अपराध क्रमांक 305/2022 धारा 302 भादवि के अपराध में घटनास्थल का नजरी नक्शा तैयार करने हेतु तहसीलदार सरायपाली को ज्ञापन भेजा था जो प्रपी 23 है जिसके अ से अ भाग पर मेरे हस्ताक्षर है । मेरे द्वारा विवेचना के दौरान मृतिका का फोटो 3 प्रति में लिया था जो प्रकरण में संलग्न है जिसे आर्टिकल ए–1 से मार्क की गई । मैंने पूर्व विवेचना पश्चात अभियुक्त रामलाल

निराला के खिलाफ धारा 302 भादवि का अभियोग पत्र माननीय न्यायालय में पेश किया हूं जो प्रपी 24 है जिसके अ से अ भाग पर मेरे हस्ताक्षर है ।

28– **असा 14 नायब तहसीलदार श्रद्धा सिंह** का कथन है कि मै वर्ष 2022 को नायब तहसीलदार एवं कार्यपालन दण्डाधिकारी बसना में पदस्थ थी। दिनांक 30–06–2022 को अनुविभागीय अधिकारी राजस्व सरायपाली के द्वारा थाना में दर्ज मर्ग क्रमांक 85/2022 में मृतिका नवविवाहिता श्रीमति कुमारी निराला के शव का शव पंचनामा तैयार करने हेतु मुझे आदेशित करने पर मैं जहां शासकीय अस्पताल बसना में शव रखा गया था वही जाकर मेरे मार्गदर्शन में शव पंचायतनामा के लिए गवाहों को नोटिस जारी करवाया गया था, जो प्रपी 04 है उसके पृष्ठ भाग के अ से अ भाग पर मेरे हस्ताक्षर है एवं ब से ब भाग पर मेरी पदमुद्रा की सील लगी है । गवाहों की उपस्थिति में मैंने शव का निरीक्षण कर प्रतिवेदन तैयार की थी । मेरे द्वारा की गई कार्यवाही प्रपी 05 है जिसके पृष्ठ भाग पर अ से अ भाग पर मेरे हस्ताक्षर एवं ब से ब भाग पर मेरी पदमुद्रा की सील लगी है ।

साक्ष्य विश्लेषण :–

29– इस प्रकरण में जहाँ असा 13 जितेन्द्र कुमार विजयवार विवेचक साक्षी रहे है । मृतिका की मृत्यु की सूचना मिलने पर अकाल एवं आकस्मिक मृत्यु की सूचना पंजी प्रपी 15 दर्ज करने के उपरांत शव को शॉर्ट पी एम हेतु प्रपी 14 के अनुसार भेजना उसके आधार पर प्रथम सूचना रिपोर्ट प्रपी 17 दर्ज करना, घटनास्थल का मौका नक्शा प्रपी 18 तैयार करना, शव परीक्षण की कार्यवाही के उपरांत डॉक्टर से ली हुई संपत्ति को जप्त करना अभियुक्त को प्रपी 21 के अनुसार गिरफ्तार करना तथा अभियुक्त का मेमोरेण्डम कथम प्रपी 02 दर्ज करना

एवं घटनास्थल का नजरी नक्शा तैयार कर गवाहों के कथन लेने के उपरांत अभियोग पत्र प्रस्तुत करना बताया है वहीं असा 14 श्रीमती श्रद्धा सिंह नायब तहसीलदार ने शव पंचनामा के लिए गवाहों को नोटिस प्रपी 04 जारी करना, शव का निरीक्षण कर प्रतिवेदन प्रपी 05 तैयार करना, असा 11 पटवारी विजय कुमार साव ने मेमो के आधार पर घटनास्थल का नजरी नक्शा प्रपी 10 एवं पंचनामा प्रपी 11 तैयार करना, असा 08, तोषकुमार दीवान आरक्षक ने पुलिस अधीक्षक महासमुंद के पत्र प्रपी 08 के अनुसार जप्तशुदा संपत्ति राज्य न्यायिक विज्ञान प्रयोगशाला रायपुर में जमा कर पावती प्रपी 09 लेना एवं उस हेतु कर्तव्य प्रमाण पत्र दिया जाना, असा 07 लक्ष्मीकुमार एवं असा 06 सूरज कुमार निराला आरक्षक दोनों ने अपने साक्ष्य में थाना में पदस्थ संजय मिश्रा के द्वारा मृतिका का डॉक्टर द्वारा पी एम करने के पश्चात दिया गया बिसरा लाकर थाना बसना में उप निरीक्षक जितेन्द्र कुमार विजयवार को दिया जाना और उप निरीक्षक जितेन्द्र विजयवार के द्वारा उसे जप्त कर जप्ती पत्रक की कार्यवाही प्रपी 07 किया जाना बताया है। इस तरह ये सभी साक्षी थाना में मृतिका की मृत्यु की सूचना प्राप्त होने के उपरांत की गयी विवेचना कार्यवाहियों की साक्षी रहे है। आगे शेष साक्ष्य से आरोपी के कृत्य के संबंध में विचार करेंगे।

30– शेष साक्ष्य में असा 09 फुलबासन मृतिका की माता, असा 03 हरिराम सतनामी मृतिका का पिता, असा 04 देवलाल सतनामी एवं असा 05 अवन कुमार सतनामी मृतिका के भाई तथा असा 02 तुलाराम ओगरे मृतिका के रिश्तेदारी में भाई का साक्ष्य है, जिनमें असा 09 फुलबासन ने अपने साक्ष्य में मृतिका का उसकी पुत्री होना और जब वह घर में थी तब उसे ठगकर ले जाना 10 माह तक रखना और उसे मार दिया जाना बताया है। वहीं असा 03

हरिराम सतनामी ने अपने साक्ष्य में अभियुक्त का उनके घर आकर उसकी पुत्री को भगाकर ले जाना और 10 माह तक अपने पास रखना बताया है तथा अभियुक्त के पिता द्वारा फोन कर मृतिका एवं अभियुक्त दोनों का बेहोश होना बताया है तथा बसना आने पर मृतिका का सरकारी अस्पताल में होने और खतम हो जाने का कथन किया है । यह साक्षी शव पंचनामा नोटिस प्रपी 04 नक्शा पंचायतनामा प्रपी 05 एवं शव पंचनामा प्रपी 06 का साक्षी रहा है तथा उक्त कार्यवाहियों पर अभियोजन को समर्थन प्रदान किया है ।

31– असा 04 देवलाल सतनामी ने भी इन साक्षियों का समर्थन करते हुए अभियुक्त का उसके घर आकर उसके बहन को भगाकर ले जाना और अभियुक्त के द्वारा 10 माह तक रखकर उसके पिता द्वारा अभियुक्त और मृतिका दोनों के बेहोश होने की खबर देने पर सरकारी अस्पताल बसना जाना बताया है । यह साक्षी शव पंचनामा प्रपी 04, नक्शा पंचायतनामा प्रपी 05 का साक्षी रहा है और उक्त कार्यवाहियों पर अभियोजन को समर्थन प्रदान किया है इसी तरह असा 05 ने भी घटना दिनांक को अभियुक्त की पहली पत्नी के द्वारा उसकी बहन के बहोश होने की खबर मिलने पर सरकारी अस्पताल बसना पहुॅचने पर मृतिका की खतम होने की जानकारी बताया है। इस साक्षी ने नक्शा पंचायतनामा नोटिस प्रपी 04 नक्शा पंचायतनामा प्रपी 05 की कार्यवाहियों पर अभियोजन को समर्थन दिया है । असा 02 तुलाराम ओगरे ने दिनांक 29.06.2022 को सोनसाय के द्वारा पुजाई कार्यक्रम का निमंत्रण देने पर वहाँ जाने पर रामलाल के नये ससुर एवं साले के द्वारा यहाँ पर खाना खा रहे हैं बोलकर नया घर में जाकर आराम करेंगे कहकर कुमारी को अपने साथ में ले जाना बताया है तथा खाना खाकर घर में आराम करने पर सोनसाय के द्वारा खेत को देखने जाने पर अपने नये घर में जाकर देखने पर

मृतिका को तखत पर सोई होने और आवाज देकर चिल्लाने पर नहीं सुनने पर हिला डुलाकर देखने पर वैसी ही पड़ी होना बताया तथा आगे हास्पिटल ले जाने पर डॉक्टर के द्वारा मृतिका की मृत्यु हो जाना बताया । यह साक्षी आरोपी के मेमोरेण्डम कथन का गवाह रहा है । परंतु इस साक्षी ने उसके हस्ताक्षर को तो स्वीकार किया है परंतु मेमोरेण्डम की कार्यवाही पर अभियोजन को कोई समर्थन प्रदान नहीं किया है ।

32– इस तरह जहाँ असा 09 फुलबासन ने अपने साक्ष्य में आरोपी के द्वारा उसकी पुत्री को मार दिये जाने का कथन किया है, वहीं प्रतिपरीक्षण में इस साक्षी ने जब उसकी पुत्री रामलाल के साथ भागकर आयी तब से उसकी मृत्यु तक अभियुक्त के यहाँ नहीं जाना और न ही अभियुक्त और मृतिका का उनके गाँव आने, के सुझावों को स्वीकार किया है । **मृतिका की मृत्यु का कारण कैसे हुआ इसकी जानकारी नहीं होना तथा उसकी पुत्री कैसे मरी उसका कारण नहीं जानना बताया है**। वहीं असा 03 हरिराम ने भी अपने मुख्य परीक्षण एवं प्रतिपरीक्षण में अभियुक्त के विरूद्ध कोई कथन नहीं किये है । यह साक्षी नक्शा पंचायतनामा एवं शव पंचनामा का साक्षी रहा है । इसी तरह असा 04 एवं असा 05 दोनों ने अपने मुख्य परीक्षण एवं प्रतिपरीक्षण दोनों में अभियुक्त के विरूद्ध कोई कथन नहीं किये हैं। बल्कि इन दोनों ने अपने प्रतिपरीक्षण में मृतिका का रामलाल के साथ भागकर आने के बाद से लेकर अस्पताल जाने तक अपनी बहन के यहाँ दो से तीन बार जाने पर प्रेमपूर्वक खा पीकर सबसे मिलजुलकर वापस आना बताया है । इसी तरह असा 02 तुलाराम ओगरे ने भी अपने मुख्य परीक्षण एवं प्रतिपरीक्षण दोनों में अभियुक्त के विरूद्ध कोई कथन नहीं किये है, यह साक्षी मेमोरेण्डम का साक्षी रहा है, इस साक्षी ने अपने प्रतिपरीक्षण में मृतिका के उसके पिता और भाई के साथ मैं

मकान में जाने के समय अभियुक्त और उसके पिता का इस साक्षी के साथ वहीं पर उपस्थित होने के सुझाव को स्वीकार किया है ।

33– इस संबंध में असा 01 सोनसाय जो अभियुक्त का बेटा है, ने भी घटना दिनांक को मैं घर में जाकर देखने पर उसकी बहू का बेहोश पडे होना और जाकर अपने बेटे अभियुक्त को उसकी बहू को हिला डुलाकर देखने पर नहीं सुनने वाली बात को बताया तथा मैं घर पहुंचकर मृतिका के नहीं सुनने पर अपने लडके अभियुक्त को भी बहोश हो जाना बताया है । अभियोजन ने इस साक्षी को नक्शा पंचायतनामा, मृतिका की मृत्यु की सूचना एवं घटनास्थल का नजरी नक्शा के संबंध में पक्षद्रोही घोषित कर प्रश्न पूछे जाने पर साक्षी ने उक्त कार्यवाहियों को कोई समर्थन नहीं दिया है । इसी तरह असा 10 ने नोटिस प्रपी 04, नक्शा पंचायतनामा प्रपी 05 एवं शव सुपुर्दनामा प्रपी 06 की कार्यवाहियों पर अभियोजन को समर्थन प्रदान किया है, परंतु प्रतिपरीक्षण में पुलिस वालों ने जिन जिन कागजों पर हस्ताक्षर करने कहा उन कागजों पर वहाँ–वहाँ हस्ताक्षर करना बताया है ।

34– इस तरह जहाँ मृतिका की मां ने अपने मुख्य परीक्षण में आरोपी के द्वारा मार देने का कथन किया है वहीं अपने प्रतिपरीक्षण में मृतका की मृत्यु कैसे हुई इसका कारण नहीं जानना स्वीकारा है । प्रस्तुत साक्ष्य से स्पष्ट है कि मृतका के माता, पिता एवं भाईयों ने अपने साक्ष्य में आरोपी के विरूद्ध कोई कथन नहीं किये हैं । इन साक्षियों में मृतका का पिता नक्शा पंचायतनामा का नोटिस प्रपी 04 एवं नक्शा पंचायतनामा प्रपी 05 तथा शव पंचनामा प्रपी 06 एवं मृतिका के दोनों भाई असा 04 एवं असा 05 नक्शा पंचायतनामा का नोटिस प्रपी 04 एवं नक्शा पंचायतनामा प्रपी 05 के साक्षी रहे हैं । इन साक्षियों ने उक्त सभी कार्यवाहियों के दौरान

भी आरोपी के विरूद्ध कोई कथन नहीं किये है, न ही आरोपी के द्वारा मृतिका के साथ किसी भी प्रकार की मारपीट किये जाने का कोई कथन किया है । बल्कि दोनों ने मृतिका के यहाँ जाने पर प्रेमपूर्वक खा पीकर सबसे मिलजुलकर अपने गाँव वापस आना बताया है इसी तरह असा 02 ने मेमोरेण्डम की कार्यवाही को कोई समर्थन प्रदान नहीं किया है एवं असा 10 नंद कुमार केवल नोटिस, नक्शा पंचायतनामा एवं शव सुपुर्दनामा का साक्षी रहा है, परंतु इस साक्षी ने अपने प्रतिपरीक्षण में उक्त कार्यवाही पर पुलिस के कहने पर हस्ताक्षर करना बताया है एवं असा 01 सोनसाय ने अकाल मृत्यु सूचना, नक्शा पंचायतनामा एवं नजरी नक्शा की कार्यवाही को कोई समर्थन प्रदान नहीं किया है । इस प्रकरण में भले ही कुछ साक्षियों ने नोटिस, नक्शा पंचायतनामा एवं शव सुपुर्दनामा को समर्थन दिया है, परंतु वे साक्षी मात्र कार्यवाहियों के साक्षी रहे हैं, उन्होंने अभियुक्त के विरूद्ध कोई कथन नहीं किये हैं । इस तरह प्रस्तुत साक्ष्य से अभियुक्त के विरूद्ध ऐसा कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं हुआ है जो आरोपित अपराध के तहत आरोपी की भूमिका अथवा उसके कारित किये जाने की उपधारणा निर्मित करता हो

<u>धारा 302 भा. द. वि. :–</u>

35– चूंकि आरोपी के विरूद्ध मृतका के हत्या की कोटि में आने वाला आपराधिक मानव वध अंतर्गत धारा 302 भा.द.वि. आरोपित था । ऐसे में अभियोजन पर आरोपी के विरूद्ध धारा–300 भा0द0सं0 के तत्वों को प्रमाणित करने का भार था और उक्त भार के तहत अभियोजन को आरोपी के कार्य को मृत्यु कारित करने के आशय से किया जाना, ऐसी शारीरिक क्षति मृत्यु कारित करने के आशय से किया जाना जिससे अपराध जानता हो कि उस व्यक्ति की मृत्यु कारित करना संभाव्य है जिसको वह अपहानि कारित की गई है, मृतक को

शारीरिक क्षति कारित करने के आशय से किया जाना, वह शारीरिक क्षति, जिसके कारित करने का आशय हो, प्रकृति के मामूली अनुक्रम में मृत्यु कारित करने के लिए पर्याप्त होना एवं कार्य के इतना आसन्न संकट हो कि मृत्युकारित किये जाने की पूरी अधिसंभाव्यता होना या ऐसी शारीरिक क्षति कारित करना कि जिससे मृत्यु कारित होना संभाव्य है, ऐसा प्रमाणित करना था परंतु इस धारा के आवश्यकताओं के साथ–साथ अभियोजन आरोपित कृत्य को भी आरोपी के विरूद्ध संदेह से परे प्रमाणित कर पाने में असफल रहा है।

36– उपरोक्तानुसार किये गये विवेचन से दर्शित है कि अभियोजन अभियुक्त के विरूद्ध मृतका कुमारी निराला को घटना स्थल थाना बसना ग्राम जटाकन्हार मृतिका के मकान में मृतिका के साथ मारपीट करने एवं उसकी गला दबाकर हत्या किया जाना प्रमाणित करने में असफल रहा है जिस कारण अभियुक्त **रामलाल निराला** के विरूद्ध धारा **302 भा0 द 0 वि0** का अपराध प्रमाणित नहीं पाया जाता है। उक्त आधार पर आरोपी को उपरोक्त आरोप से **दोषमुक्त** किया जाता है ।

37– प्रकरण में जप्तशुदा मूल्यहीन संपत्ति अपील अवधि बाद अपील न होने की दशा में नष्ट की जावे ।

38– अभियुक्त विचारण के दौरान दिनांक 30.06.2022 से आज दिनांक 29.07.2024 तक अभिरक्षा में रहा है।

39– प्रकरण के लंबन काल में आरोपी द्वारा बितायी गयी अभिरक्षा की अवधि के संबंध में तालिका तैयार की जावे, तत्संबंध में दं0 प्र 0 सं0 की धारा 428 के तहत तालिका निम्नानुसार है :–

द.प्र.सं. की धारा 428 के तहत तैयार की गयी तालिका –

क्र.	आरोपी का नाम	गिरफ्तारी दिनांक	रिहाई दिनांक	आरोपी द्वारा अभिरक्षा में बितायी गयी अवधि
1.	रामलाल निराला	30.06.2022	निरंक	दिनांक 30.06.2022 से आज दिनांक 29.07.2024 तक कुल 02 वर्ष 29 दिन

40– निर्णय की एक प्रति अतिरिक्त लोक अभियोजक के माध्यम से जिला दण्डाधिकारी महासमुंद को प्रदान की जावे ।

मेरे निर्देश पर टंकित किया गया।

सही/–

स्थान–सरायपाली
दिनांक– 29/07/2024

(श्रीमती शोभना कोष्टा)
प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश सरायपाली
जिला महासमुंद (छ0ग0)